भवन निर्माण विभाग

.....

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–7050 दिनांक–04.07.2014 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–08.07.2014 में मद संख्या–32 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

32.	'बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली, 2014' के गठन की स्वीकृति।	32	स्वीकृत।

08/7/14

(प्रभाकर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

8/7/14

9.7.14

पार पृष्ठ 12/टि० पर दिनांक 08.07.14 को सम्पन्न मैत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही का संलग्नित अवतरण दृष्टव्य है।

"बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली, 2014" के गठन की स्वीकृति पर संख्या-32 के रूप में प्रदान की गई है।

तद्प्रालोक में नियमावली की टंकित हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रतियाँ सचिव के हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित हैं। कृपया संचिका पुरःअंकित करना चाहेंगे।

10/07/14

प्र०सहा०

उपर्युक्त टिप्पणी। अधिसूचना प्राप्त हुए अनुरूप।

उप सचिव

10/7/14

उपर्युक्त टिप्पणी।

तद्नुरूप नियमावली की हिन्दी/अँग्रेजी अधिसूचना की टंकित प्रतियाँ सचिव महोदय के हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित।

(सं० सचिव)

11.7.14

जनक राम

~~उपर्युक्त~~ टिप्पणी एवं पत्र-खण्ड पर रक्षित अधिसूचित किये जाने के लिए नियमावली की टंकित प्रतियाँ (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में) हस्ताक्षरार्थ।

~~सचिव~~

10/7

10-7-14

10.7.14

हस्ताक्षरित
11/7/14

अधि० संख्या-7275 (अ), दिनांक 11.07.2014

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
अधिसूचना

संख्या-भवन/स्था01-विविध-1061/2013- 1215 (a) पटना, दिनांक- 11.7.14

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार वास्तुविद सेवा में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते है:-

बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली, 2014

अध्याय : 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**-(1) यह नियमावली ''बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली, 2014'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

(i) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्यपाल;

(iii) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है भवन निर्माण विभाग;

(iv) ''विभाग'' से अभिप्रेत है भवन निर्माण विभाग;

(v) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा अयोग;

(vi) ''सेवा'' से अभिप्रेत है बिहार वास्तुविद सेवा;

(vii) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार वास्तुविद सेवा संवर्ग ।

अध्याय : 2
सेवा संवर्ग

3. **सेवा का गठन ।**- (1) इस सेवा में निम्नांकित कोटि के पद होंगे-

(i) सहायक वास्तुविद

(ii) एसोसिएट वास्तुविद

(iii) वरीय वास्तुविद

(iv) मुख्य वास्तुविद

(2) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटियों में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वत: इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे। इस संवर्ग के सदस्य राजपत्रित होंगे।

4. **प्राधिकृत बल ।**- राज्य सरकार समय-समय पर इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदो का सृजन/ विलोपन की स्वीकृति दे सकेगी। आवश्यकतानुसार अन्य विभागों में वास्तुविदीय पदाधिकारी के पदो को उन विभागों की सहमति से इस संवर्ग की संरचना का विस्तार एवं पुर्नगठन किया जा सकेगा।

5. **आरक्षण** ।- सेवा या संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

अध्याय : 3

भर्ती

6. **सीधी भर्ती** ।- सहायक वास्तुविद के शत प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती विभागीय अधियाचना के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित/साक्षात्कार परीक्षा आयोजित कर चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा नियुक्ति हेतु विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. **अर्हता** ।- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वास्तुकला स्नातक की डिग्री एवं Council of Architecture, New Delhi से निबंधित होना अनिवार्य होगा।

8. **परिवीक्षा एवं अवधि** ।- सीधी भर्त्ती से नियुक्त सहायक वास्तुविद की नियुक्ति की तिथि से दो वर्षो की परीक्ष्यमान अवधि होगी। विशेष परिस्थिति में परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी परन्तु विस्तारित अवधि में कार्यकलाप संतोषजनक नहीं होने पर उन्हें सेवा मुक्त किया जा सकेगा।

9. **प्रशिक्षण** ।- विभाग एवं अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा;

परन्तु, यह भी कि, यदि अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा समसय अथवा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किये जाने पर प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।

10. **सम्पुष्टि** ।- नवनियुक्त सहायक वास्तुविदों द्वारा विभागीय दायित्व पूर्ण करने एवं विभागीय परीक्षा उर्त्तीण होने के उपरान्त कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाये जाने पर सहायक वास्तुविद के पद पर सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

अध्याय : 4

प्रोन्नति

11. **(क) प्रोन्नति** ।- बिहार वास्तुविद सेवा (एसोसिएट वास्तुविद) के पदों पर प्रोन्नति बिहार वास्तुविद सेवा संवर्ग (सहायक वास्तुविद) से निम्न प्रकार दी जायेगी:-

(i) सहायक वास्तुविद - एसोसिएट वास्तुविद
एसोसिएट वास्तुविद - वरीय वास्तुविद
वरीय वास्तुविद - मुख्य वास्तुविद

(ii) किसी भी पद से उच्चतर पद पर प्रोन्नति का मापदंड वरीयता-सह-योग्यता (Seniority cum Merit) होगा।

(iii) प्रोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्ति के तीन गुणा योग्य पदाधिकारी की सूची वरीयता के आधार पर बनायी जाएगी।

(iv) मुख्य वास्तुविद तक के पदों पर वरीयता के साथ योग्यता निर्धारित करने का मापदण्ड वरीयता एवं वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति सहित निगरानी स्वच्छता होगी।

(ख) वरीय पदों पर प्रोन्नति सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि के अनुरूप दी जायेगी।

अध्याय : 5

सामान्य/प्रकीर्ण

12. **अवशिष्ट मामले** ।- (क) आयु -राज्य सरकार के अधीन विभिन्न पदों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आयु सीमा लागू होगी।

(ख) **वरीयता** ।- सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक वास्तुविदों की वरीयता उनकी मेधा सूची पर आधारित होगी।

(ग) **छुट्टी** ।- छुट्टी एवं अवकाश के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र में निहित प्रावधान लागू होंगे।

(घ) **स्थानांतरण एवं पदस्थापन** ।- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र में निहित प्रावधान लागू होगा।

(ङ) **पेंशन** ।- नई पेंशन योजना दिनांक 01.09.2005 को या उसके बाद योगदान करने वाले कर्मी पर लागू होगी।

(च) **वेतन, भत्ते एवं अन्य** ।- वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें, तत्समय उस हेतु प्रवृत सामान्य सरकारी नियमों या आदेशों द्वारा विनियमित होगा।

13. **अनुशासन एवं अपील** । - सेवा के सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

14. **कठिनाईयों का निराकरण** ।- यदि इस नियमावली के उपबंधों के प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजकीय गजट में प्रकाशित अपने आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

15. **निरसन एवं व्यावृत्ति** ।- (क) इसके द्वारा वास्तुविद सेवा संवर्ग के संबंध में पूर्व निर्गत नियम, निर्देश एवं परिपत्र को निरसित किया जाता है।

(ख) उक्त निरसन के होते हुए भी पूर्व निर्गत नियम, निर्देश एवं परिपत्र के प्रावधानों के प्रयोग में की गई कोई भी कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गई समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/7

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- भवन/स्था01-विविध-1061/2013 7276 (8) पटना, दिनांक- 11.9.14

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. कृपया प्रकाशित गजट की एक हजार अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

10/7

सरकार के सचिव

-4/

(67)

ज्ञापांक-भवन/स्था01-विविध-1061/2013- 12776 (भ) पटना, दिनांक- 11.7.14

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/मुख्य वास्तुविद/उप सचिव (स्थापना प्रभारी)/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

Government of Bihar

Building Construction Department

Notification

No. Bhawan/Estd.-.-01/Misc.-1061/2013- 7275(BW) Patna, Date 11.7.14

In exercise of Powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to regulate appointment and service conditions in the Bihar Architect cadre Rules, 2014.

Chapter:-1

Preliminary

1. **Short title, extent & commencement-** (1) These Rules may be called as the "Bihar Architect cadre Rules, 2014"

(2) It will extend to the whole state of Bihar.

(3) It will come in to force at once.

2. **Definitions-**In these Rules, unless otherwise required in the subject or context:-

(I) "State Government" means the Government of Bihar;

(II) "Appointing Authority" means Governor of Bihar;

(III)"Cadre Controlling Authority" means Building Construction Department;

(IV) "Commission" means Bihar Public Service Commission;

(V) "Service" means Bihar Architect Service;

(VI) "Cadre" means Bihar Architect Service cadre.

Chapter:-2

Service Cadre

3. **Constitution of cadre-posts .** (1) In this cadre there shall be following categories of

(i) Assistant Architect

(ii) Associate Architect

(iii) Senior Architect

(iv) Chief Architect

(63)

(2) The personnel appointed/working on the posts of this cadre prior to coming in to force of the Rules, shall be deemed to be automatically included in this cadre. The members of this cadre shall be gazetted officers.

4. **Prescribed strength-** The State Government may, from time to time allow for creation/deletion of the posts of various categories of this service. As per requirement and with consent of other departments the post of Architects in other departments may be extended and reorganized in this cadre.

5. **Reservation-** The provisions of State Government as enforced from time to time, shall be applicable on appointment/promotion in this service or cadre.

Chapter:-3

Recruitment

6. **Direct recruitment-** Direct recruitment on all the post of Assistant Architect shall be made in the light of Departmental requisition sent to Commission which shall conduct written/viva examination and shall make available the recommendation of selected candidates to the Department for appointment.

7. **Qualification-** The candidate shall have Architecture graduate degree from any recognized University or Institute and he shall have to be registered with the Council of Architecture, New Delhi.

8. **Probation and period-** The probation period of direct recruited Assistant Architect shall be for two years. In special circumstances the probation period may be extended for one year but if during the probation period or the extended period the service is not found satisfactory he/she may be released from service.

9. **Training-** All the officers shall be imparted training under the fixed training programme by the Department and by authorized training institute;

Provided that, if the training is not organized in time or in accordance with training programme is shall not come in the way for promotion.

10. **Confirmation-** The service on the post of Assistant Architect may be confirmed only after completion of Departmental responsibility and passing of Departmental examination as well as satisfactory service and conduct.

-3/

(64)

Chapter:-4

Promotion

11. **Promotion-** The promotion from the post of Architect service cadre (Assistant Architect) to the posts of Bihar Architect Service (Associate Architect) shall be given in following manner:-

(i) Assistant Architect to Associate Architect

Associate Architect to Senior Architect

Senior Architect to Chief Architect

(ii) Criteria for promotion from any post to higher post shall be seniority cum merit.

(iii) A list of eligible officers shall be prepared for promotion on the basis of their seniority which shall be three times more than the number of available vacancy.

(iv) Criteria for promotion up to the post of chief Architect shall be seniority with merit and confidential remarks as well as vigilance clearance.

(v) Promotion on the higher posts shall be given in accordance with kalawadhi fixed by the Government.

Chapter:-5

General/Miscellaneous

12. **Residual Matter-** (a) **Age** –Age limit shall be applicable as determined by General Administration Department for different posts under the State Government.

(b) **Seniority-** The inter-se seniority of directly recruited Assistant Architect shall be determined according to the merit list.

(c) **Leave-** The provisions contained in circular issued by General Administration Department and Finance Department shall be applicable in respect to leave and holiday.

(d) **Transfer/Posting-** The provisions contained in circular issued by Cabinet Secretariat & Co-ordination Department as well as General Administration Department shall be applicable in respect to transfer/posting.

(e) **Pension-** The new pension scheme shall be applicable for those personnel who joined on or after 01/09/2005

-4/

(f) **Salary, Allowances and others**-Salary, allowances and other service conditions shall governed/regulated by the general Government Rules/orders/Resolutions/Instruction notified for that purposes by the State Government from time to time.

13. **Discipline and Appeal-** The disciplinary proceeding against the member of the service shall be regulated according to provisions of Bihar Government servant (Classification, control and Appeal) Rules, 2005.

14. **Removal of difficulties-** If any difficulty arises in implementation of provisions of these Rules, The State Government may by Gazette notification remove such difficulty which the State Government may deem it expedient.

15. **Repeal and savings-** (a) By this Rules all rules/resolution/orders earlier notified in respect of the Cadre of Bihar Architect Service is hereby repealed.

(b) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in accordance with the previous rules, regulations and instructions shall be deemed to have been done under this Rule.

By the order of Governor

10/7

(Chanchal Kumar)
Secretary to the Government

Memo no. Bhawan/Estd.-.-01/Misc.-1061/2013- 7276(Bh) Patna, Date:- 11-7-14

Copy to:- Accountant General, Bihar, Patna/Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna for its publication
in the extraordinary edition of Bihar Gazette.
2.Please one thousand extra copies of the Gazette be made available to the department.

10/7

Secretary to the Government

Memo no. Bhawan/Estd.-.-01/Misc.-1061/2013- 7276(Bh) Patna, Date:- 11.7.14

Copy to:- All Departments/Head of the Departments/Cabinet Secretariat Department/All Divisional Commissioner/All District Magistrate/Engineer in Chief , B.C.D./All Chief Engineers/All Superintendent Engineers/Chief Architect/Deputy Secretary(Establishment In charge)/ General Administration Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

10/7

Secretary to the Government